न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी इंदौर - सांवेर

रा० प्र० क्रमांक १२८।अ-२
७६-७७

आवेदक - अशोक भाई पटेल,
निवासी २८, मेनरोड, तुकोगंज, इंदौर

आदेश

([illegible])

यह प्रकरण आवेदक अशोक भाई पटेल निवासी २८, मेन रोड, तुकोगंज इंदौर के आवेदन पत्र २०-८-६२ के आधार पर स्थापित किया गया है । आवेदक ने म०प्र० भू०रा० संहिता १९५९ की धारा १७२ के अन्तर्गत ग्राम खजराणा के स. नं. ३६९, ३६८ एवं ३६६ कुल रकबा १२.३८ पैकी ४.६१ एकड़ भूमि को कृषी भिन्न आशय उद्योग में परिवर्तन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है ।

प्रकरण में अधीक्षक भूमि परिवर्तन शाखा के जाँच प्रतिवेदन अनुसार तत्कालिन अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक १६-९-६८ के अनुसार स. नं.३६९, ३६८ एवं ३६६कुल रकबा ४.६१ पर वार्षिक पुर्ननिर्धारण ६०४०= वर्ष १९५९-६० से तथा प्रतिवेदन २३०५-०० निर्धारण किया था । किन्तु इस आदेश से असंतुष्ट होकर आवेदक ने प्रथम अपील अतिरिक्त कलेक्टर इंदौर को इस विषय पर प्रस्तुत की, कि नजूल अधिकारी (डिप्टी कलेक्टर)को भूमि परिवर्तन के प्रकरण में आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है । जिसे अतिरिक्त कलेक्टर के निर्णय दिनांक १२-६-६९ व्दारा अमान्य की जाने पर आवेदक ने व्दितीय अपील अतिरिक्त आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के न्यायालय में प्रस्तुत की जिस पर न्यायालय व्दारा अपील स्वीकार की जाकर उभय अधिनस्थ न्यायालय के आदेश निरस्त कर प्रकरण इस न्यायालय को इस आदेश के साथ भेजा है कि अपीलांट को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाकर प्रकरण के गुण दोष पर पुनः विधिवत् आदेश देवें ।

प्रकरण में आवेदक को पूर्ण रूप से सुनवाई का अवसर दिया ब गया जिसमें उसने न्यायालय में दिनांक १५-३-८७ को उपस्थित

..२

होकर लेखी बहस प्रस्तुत की, बहस के अवलोकन से प्रगट है कि आवेदक का मूल उद्देश्य बहस के चरण ६ के अनुसार भू परिमाप तथा बन्दोबस्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक ६६६।५६२।आठ।६२ दिनांक १९-४-१९६२ में स्वीकृत रियायती दर से भू भाटक देने की पात्रता आती है। क्योंकि आवेदक म०प्र० शासन विद्युत मंडल के लिये विद्युत पोल का निर्माण करता है, और जिसके संबंध में संचालक उद्योग विभाग द्वारा उनके पत्र क्रमांक नं ए।लेन्ड।२०।५९ इंदौर दिनांक २९-१०-५९ द्वारा इस न्यायालय को उद्योग हेतु स्वीकृति दिये जाने की सिफारिश की है।

अतएव राजस्वपरिपत्र १-६ की परिशिष्ट १ में अवर सचिव भू परिमाप एवं बन्दोबस्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक ७४०।१४८१।अस।८४ दिनांक २-३-७५ का प्राप्त होने से शासन आदेशानुसार ख नं ३६१,३६८, एवं ३६९ कुल रकबा ४.६१ भूमि पर रियायती दर १६०-०० प्रति एकड़ की दर ४.६१ एकड़ भूमि पर वार्षिक पुनर्निर्धारण ७३७-६० अंकेन सातसौ सैंतीस रुपये साठ पैसे वर्ष १९६२-६३ से देय होगा। इसके अतिरिक्त प्रीमियम १६००-०० प्रति एकड़ की दर से ७३७६-०० अंकेन सात हजार तीन सौ छियतर रुपये शासन को जमा करना होगा।

चूँकि शासन का उद्योग कार्य हेतु रियायती दर का ज्ञापन दिनांक १९-४-६२ में प्राप्त हुआ है और आवेदक द्वारा भूमि परिवर्तन वर्ष १९५९ के पूर्व का बतलाया है। अतएव वर्ष १९५९-६० से ---- १९६१-६२ तक का भूमि परिवर्तन पुर्ननिर्धारण ९०४०-०० अंकेन ---- नौ हजार चालीस रुपये प्रति वर्ष की दर से पुर्वानुसार ही देना होगा।

आदेश पारित किया गया। आवेदक को सूचित किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ भूमि परिवर्तन शाखा को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

Bhalwankar
5/4/80.

अनुविभागीय अधिकारी
अनु. वि. अधिकारी, इंदौर सांवेर.